127

संख्या–1102/XLI-1/2011–68/07

प्रेषक,

एस0राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिष्ठाता,
प्रौद्योगिकी महाविद्यालय,
पंतनगर।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 18 नवम्बर, ~~अक्टूबर~~, 2011

विषयः– प्रौद्योगिकी महाविद्यालय पंतनगर में उत्पादन अभियंत्रण विभाग के अतिरिक्त भवन के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–सीटीई/बी–5/आयोजनागत/11/508 दिनांक 19.09.2011 एवं शासनादेश संख्या–1317/XXIV(8)/2008–68/07, दिनांक 31.12.2008 तथा संख्या–1696/XXIV(8)/2010–68/07,दिनांक 03.12.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, पंतनगर में उत्पादन अभियन्त्रण विभाग के अतिरिक्त भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत आगणन ₹459.61 लाख के सापेक्ष अब तक अवमुक्त धनराशि ₹85.00 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि ₹374.61 लाख में से अगली किश्त के रूप में ₹1,50,00,000/–(रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– व्यय उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की गई हैं। व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल एवं अन्य तद्विषय शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकता के आधार पर तथा व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहॉ आवश्यक हो वहॉ व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्बन्ध में समय–समय पर दिये गये निर्देशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराया जाय।

6– संस्था को अनुदानित धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त कोषाधिकारी ऊधमसिंह नगर द्वारा सीधे आपको कर दिया जायेगा। संबंधित कोषागार बीजक एवं दिनांक की सूचना निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड तथा शासन को तत्काल भेजी जाय।

7– शासनादेश सं0–1317/XXIV(8)/2008–68/07, दिनांक 31.12.2008 में विहित शेष शर्ते यथावत रहेगी।

8– कार्य की त्वरित प्रगति के संबंध में कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए कार्य में प्रगति की निरन्तर समीक्षा की जायेगी तथा कार्य समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। सयाथ ही वित्त विभाग के आदेषानुसार निर्धारित प्रारूपप र निर्माण संस्था के साथ एम0ओ0यू0 कर लिया जाय।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्श 2011–12 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक–2203–तकनीकी शिक्षा–00–आयोजनागत–112–इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान–00–03–पंत कालेज ऑफ टैक्नोलोजी पंतनगर को सहायक अनुदान–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज सहायता'' के नामें डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–2009/XXVII(1)/2011 दिनांक 31.03.2011 में निहित व्यवस्था एवं दिशा– निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी ऊधमसिंह नगर।
5. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम इकाई, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
6. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।